06/11/24

अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। प्रकरण में संलग्न अधी-
नस्थ न्यायालयों की पत्रावली के अवलोकन से यह
स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ
न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश 26/05/2020

Scanned with OKEN Scanner

के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है एंव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण से विचाराधीन राजस्व विविध संख्या 59/2020 वजनगान देवा बनाम सोहन वगैरा दिनांक 09/02/2021 को जरिये नोट-प्रेस खारिज हो चुका है। प्रकरण से संबधित मूल अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का मूल निस्तारण किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतरिम आदेश के विरुद्ध उक्त अपील का कोई सार नहीं रह जाता है। लिहाजा उक्त अपील सारहीन व औचित्यहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।